जनपद – संतकबीरनगर   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 31.03.2024*

*अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 30.32 ग्राम अवैध नशीला पाउडर **(स्मैक) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त अजय कुमार गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को रेलवे माल गोदाम के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 30.32 ग्राम अवैध नशीला पाउडर(स्मैक) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 260/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय कुमार गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

30.32 ग्राम अवैध नशीला पाउडर(स्मैक)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 2602024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल* –**

उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री पवन कुमार, का0 अभिषेक कुमार, का0 विनय कुमार यादव, का0 सुनील पाल, का0 रंजन कुमार, का0 संजीव कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत कालीजगदीशपुर से इवेन्ट संख्या 04132 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (**01-बब्लू पुत्र हरिलाल प्रसाद व 02- सत्यम पुत्र संतोष कुमार निवासी परसाई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0स0पु0 मदन नाथ त्रिपाठी, आ0 प्रदीप कुमार यादव, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 1,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 1,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।